भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 1537
29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय:सुपारी किसानों के समक्ष चुनौतियाँ

1537. श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में सुपारी किसानों को मज़दूरों की कमी और टेलिस्कोपिक पोल्स जैसे महंगे उपकरणों के कारण कटाई में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) के तहत टेलिस्कोपिक हार्वेस्टिंग पोल्स के लिए वर्तमान में राजसहायता की राशि—सामान्य किसानों के लिए 4,000 रुपए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला किसानों के लिए 5,000 रुपए बाजार की दरों से काफी कम है, जिससे उनकी वहनीयता सीमित हो जाती है;

(ग) क्या सरकार का सुपारी की कटाई के उपकरणों को अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लिए उक्त उप-मिशन के तहत सब्सिडी की सीमा को संशोधित करने और बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सरकार सुपारी की कटाई के लिए साझा स्वामित्व और किराये पर आधारित सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु ड्रोन सहायता योजनाओं—जैसे किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों, महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और ग्रामीण उद्यमियों के माध्यम से कटाई के उपकरण खरीदने के लिए सहायता—के समान मॉडलों पर विचार कर रही है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): सुपारी की खेती में फसल कटाई सहित कई श्रम-गहन गतिविधियाँ शामिल हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के केंद्रीय प्रायोजित घटक के रूप में राज्य सरकारों के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) को कार्यान्वित कर रहा है। एसएमएएम के तहत, किसानों को व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर फसल कटाई और फसल उपरांत और प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकियों सहित विभिन्न कृषि मशीनों और उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

संशोधित एसएमएएम दिशानिर्देशों (मई 2025 में संशोधित) के अनुसार, 80 फीट ऊंचाई तक के टेलिस्कोप हार्वेस्टिंग पोल (कार्बन) पर छोटे और सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को लागत के 50% की दर से 40,000/- रुपये तक सीमित और अन्य किसानों को लागत के 40% की दर 32,000/- रुपये तक सीमित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एसएमएएम दिशानिर्देशों के अनुसार, एल्युमीनियम पोल पर 50% की दर से 13,000 रुपये और 40% की दर से 10,400 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, अन्य टेलिस्कोप पोल पर 50% की दर से 5000 रुपये और 40% की दर से 4000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। किसानों को यह वित्तीय सहायता, राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त श्रेणियों के अंतर्गत हार्वेस्टिंग पोल के प्रकारों के सत्यापन के बाद प्रदान की जाती है।

नमो ड्रोन दीदी योजना की तरह ही एसएमएएम के तहत, 30 लाख रुपये तक की परियोजना लागत वाले कृषि मशीनरी बैंकों (एफएमबी) की स्थापना के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) क्लस्टर स्तरीय संघों (सीएलएफ) और उनके अंतर्गत आने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), पंचायतों, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों/किसानों की सहकारी समितियों (कृषि/बागवानी/मखाना आदि) को परियोजना लागत के 80% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों में, एफएमबी की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की दर, परियोजना लागत के 95% की दर से है। ये एफएमबी, क्षेत्र के किसानों को प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन और फसल उप-उत्पाद प्रबंधन सहित किराये पर आधारित फसल-विशिष्ट मशीनीकरण सेवाएँ प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं।

*****